भारतीय जनता पार्टी

संजय त्रिवाल
सांसद प्रतिनिधि
लोकसभा क्षेत्र-हरिद्वार

सूचना का अधिकार (प्रभाग)

सूचना अधिकार अधिनियम
224, लक्ष्मी निवास, काशीपुरा
अपर रोड, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)
मो० : 09411775176, 9927158994
email : sanjaytriwal@gmail.com

पत्रांक.........................

दिनांक 16-9-2017

O/o C. R. Section (RTH)
Dairy No. 12471351/2017
Date 19/9/2017

सेवा में,

श्रीमान केन्द्रीय लोकसूचना अधिकारी
कार्यालय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय-भारत सरकार,
संसद मार्ग, गोकुल नगर मार्ग, नई दिल्ली-110001 (भारत)

महोदय,

सूचना का अधिकार वर्ष 2005 की धारा 6 क 1 के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क रू0 10/- भारतीय डाक विभाग द्वारा प्रकाशित मुद्रित पो0आ0सं0-37एफ-822078 को राजकोष में जमा करवाकर कृपया जनहित एवं शासनहित में बिन्दुवार सूचनायें उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

1. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ई रिक्शा एवं ई कार्ट को परमिट से मुक्ति सम्बन्धित जो अधिसूचना जनहित में जारी की गई है उस अधिसूचना की प्रतियां सत्यापित सूचना के रूप में उपलब्ध करवायें।

2. सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार व्यक्तिगत सामान सहित ई रिक्शा एवं ई कार्ट पर मोटर वाहन एक्ट-1988 की धारा (66) की उपधारा (1) के प्रावधान लागू नहीं होगें इस आदेश अथवा अधिसूचना की सत्यपित छायाप्रतियां सूचना के रूप में उपलब्ध करवायें।

3. सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ई रिक्शा एवं ई कार्ट को परमिट मुक्त किया गया है। यह छूट मोटर वाहन की धारा (2क) में दी गई परिभाषा के अन्तर्गत प्रदान की गई है इस अधिसूचना अथवा आदेश की छायाप्रतियां सत्यापित रूप से सूचना के रूप में उपलब्ध करवायें।

4. राज्य सरकारों में मोटर वाहन एक्ट 1988 के पालन करवाने हेतु राज्य उपयुक्त मार्गों पर चिन्हित करने तथा इन पर अंकुश लगा सकते हैं इस आशय की प्रभावी परिभाषा अथवा आदेश अथवा अधिसूचना जो कि मंत्रालय द्वारा संबंधित राज्यों को प्रेषित की गई हो जहां ई रिक्शा अथवा ई कार्ट का संचालन वर्तमान में हो रहा है उस आदेश-अधिसूचना की सत्यापित प्रतियां सूचना के रूप में उपलब्ध करवायें।

यह कि हमारे द्वारा दिनांक 22.03.2017 से जनहित में निरन्तर आपको प्रार्थना पत्र वांछित सूचना हेतु जनहित एवं शासनहित तथा राष्ट्रहित में प्रेषित किया जा रहा है लेकिन आपके द्वारा (घनश्याम मीणा अनुभाग अधिकारी आर.टी.आई.) के द्वारा विभागीय त्रुटियां निकालकर सूचना हेतु भ्रमित किया जा रहा है) यदि अब इस तरह पुनः परेशान किया गया तो सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 18 क 1 के अन्तर्गत आवेदक राष्ट्रीय सूचना आयोग में शिकायत दर्ज करवायेगा।

<u>संलग्नक</u>:- पो0आ0सं0-37एफ-822078 मू0 10/- की मूल प्रति व समाचार पत्र 01.09.16 की छायाप्रति।

दिनांक:

आवेदक
संजय त्रिवाल

(संजय त्रिवाल)
सांसद प्रतिनिधि-आर.टी.आई., 224-लक्ष्मी निवास, अम्बेडकर कालोनी,
मंशा देवी रोपवे, हरिद्वार-249401 (उत्तराखण्ड)

857

जय श्री बद्री विशाल — जय माँ गंगे — जय श्री केदारेश्वर

संस्कृति सुरक्षा एवं हरितमा संरक्षण

श्री देवभूमि रक्षा समिति, उत्तराखण्ड राज्य

संजय त्रिवाल

अध्यक्ष

पत्रांक....................... दिनांक 8/8/17

सेवा में,

श्रीमान् केन्द्रीय लोकसूचना अधिकारी महोदय
कार्यालय सड़क परिवहन राजमार्ग एवं शिपिंग मंत्रालय,
भारत सरकार, परिवहन भवन (1), संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001 (भारत)

O/o C. R. Section (RTH)
Dairy No. 1242033/2017
Date 11/8/17

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष 2005 की धारा 6 क 1 के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क रू0 10 पो0आ0सं0-37एफ-822076 को कृपया राजकोष में जमा करवाकर जनहित एवं एवं राष्ट्रहित में सूचना प्रदान करने का कष्ट करें :-

1. संलग्नक छायाप्रति जो कि मा0 केन्द्रीय मंत्री श्री नितिन गड़करी, मा0 मंत्री महोदय सड़क परिवहन राजमार्ग एवं शिपिंग मंत्रालय के निजी सचिव श्रीमान वैभव डागे जी के द्वारा आदेशित है। PO/23/234/M/N/RT&H/VIP/2017/20 अप्रैल जो कि सचिव सड़क परिवहन राजमार्ग शिपिंग मंत्रालय को प्रेष्ति किया गया था पर कृत कार्यवाही, आदेश, विभागीय कार्यवाही आदेश हरिद्वार में प्रदूषण रहित ई रिक्शाओं के सम्बन्ध में की सूचनायें उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

संलग्नक:-

1. मूल प्रति पो0आ0सं0-37एफ-822076
2. छायाप्रति आदेश पत्र श्रीमान वैभव डागे।

आवेदक

संजय त्रिवाल

(संजय त्रिवाल)

[illegible]

वैभव डांगे
VAIBHAV DANGE

निजी सचिव
सड़क परिवहन, राजमार्ग
एवं पोत परिवहन मंत्री
भारत सरकार
PRIVATE SECRETARY TO
MINISTER OF ROAD TRANSPORT,
HIGHWAYS AND SHIPPING
GOVERNMENT OF INDIA

DO 123123 /MIN/RT&H/VIP/2017

26 अप्रैल, 2017

प्रिय श्री संजय जी,

माननीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रेषित आपका दिनांक 21.04..2017 का पत्र प्राप्त हुआ, जो कि हरिद्वार में प्रदूषण रहित ई रिक्शा संचालन के संबंध में है।

उपर्युक्त पत्र को अग्रिम कार्रवाई हेतु संयुक्त सचिव (परिवहन) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रेषित कर दिया गया है।

सादर,

आपका,

(वैभव डांगे)

श्री संजय त्रिवाल
अध्यक्ष
श्री देवभूमि रक्षा समिति
224 अम्बेडकर कॉलोनी,
निकट माँ मंशा देवी रोपवे,
हरिद्वार, (उत्तराखण्ड)

Room No. 503, Transport Bhawan, 1, Sansad Marg, New Delhi-110 001
Tel.: 23711252, 23710121 (O) Fax: 23719023, E-mail: vaibhav.dange@nic.in

फ.स.आई-I-34014/187/2017-आरटीआई
भारत सरकार
सड़क परिवहन एंव राजमार्ग मंत्रालय

दिनाक- 16.08.2017

सेवा में,

श्री संजय त्रिवाल
अध्यक्ष
श्री देवभूमि रक्षा समिति
224 अम्बेडकर कॉलोनी
निकट माँ मनसा देवी रोपवे
हरिद्वार (उत्तराखंड)

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री संजय त्रिवाल से प्राप्त आवेदन।

महोदय,

मुझे आपका पत्र दिनाक 08.08.2017 जो की इस मंत्रालय मे दिनाक 11.08.2017 को प्राप्त हुआ का अवलोकन करने का निर्देश हुआ है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत कतिपय सुचना मांगे जाने के संबध में है।

2. इस संबध में यह देखा गया है कि आपके दारा निर्धारित प्राधिकारी के पक्ष में अपेक्षित आवेदन शुल्क का भुगतान नही किया है। अतः आपसे अनुरोध है कि **'भुगतान एवं लेखा अधिकारी (सचिवालय)' सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली**, को देय 10 रु0 का बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक/ भारतीय पोस्टल आर्डर इस मंत्रालय को तुरंत भेजा जाए। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदन पर कारवाई 'आवेदन शुल्क' जमा कराने का बाद ही की जा सकती है। 10 रु0 का IPO 37F 822076, इसके साथ वापस किया जा रहे है।

भवदीय

घनश्याम मीना

घनश्याम मीना
अनुभाग अधिकारी(आर.टी.आई)

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
TRANSPORT BHAVAN, 1 PARLIAMENT STREET
NEW DELHI - 110001

Receipt No. 5258 Dated 20/9/17

Received RTI Application dated........................

from Sh. Smt. / Mr. संजय तिवारी

along with application fee of Rs. 10/- (Rupees Ten

only) / Fee of Rs. — (Rupees —

only) for providing information under RTI Act 2005 in

Cash / Demand Draft / Cheque / IPO No. ✓ 37F822078

Dated ....

[signature]

Signature / Receipt Official (IFC)